प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में आबकारी एवं कराधान, राजस्व, परिवहन, वन तथा खानों एवं भू-गर्भ विज्ञान के विभागों से अंतर्विष्ट सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित वे उदाहरण हैं जो 2013-14 की अवधि के दौरान की गई लेखापरीक्षा जांच में सामने आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान सामने आए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे; जहां कहीं अनिवार्य है 2013-14 के पश्चात की अवधि से सम्बंधित उदाहरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप परिचालित की गई है।